// आवश्यक सूचना //

सत्र् 2022-23 से निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के आदेश (Fee Order) समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल <u>www.afrcmp.org</u> में संस्था के लॉगिन पर उपलब्ध रहेंगे। कृपया आदेश लॉगिन से प्राप्त करें।

अतः संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर अपनी संस्था के लॉगिन का निरीक्षण करें।

सत्र् 2022-23 से ईमेल/पोस्ट द्वारा शुल्क विनियमन के आदेश (Fee Order) संस्थाओं को प्रेषित नहीं किया जायेगा।

